उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–02
संख्या– 1685 (1)/IV(2)-श0वि0–2024–19(सा0)18
देहरादून, दिनांकः 27 सितम्बर, 2024

अधिसूचना संख्या– 1685 (1)/ IV(2)-श0वि0–2024–19(सा0)18, दिनांक 27 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली, 2024" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड को राज्यपाल महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाँयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
3– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें, जिनका प्रसार राज्य में व्यापक रूप से होता हो।
4– निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8– वरिष्ठ निजी सचिव–मा0 शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
9– संयुक्त निदेशक, पशु कल्याण बोर्ड/सदस्य सचिव, प्रा0श्वा0प0ब0अनु0समित, पशुधन भवन देहरादून उत्तराखण्ड।
10– संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखा सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को अपने असाधारण गजट के अग्रिम अंक में विधायी परिशिष्ट में प्रकाशित कर गजट की 150 मुद्रित प्रतियां निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा शहरी विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नितिन सिंह भदोरिया)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्याः-1686/ IV(2)–श0वि0–2024–19(सा0)18
देहरादून, दिनांकः27 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (1) सपठित धारा 453 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जायेगा, जब सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती है;

इन प्रारूप नियमों से संबंधित आपत्ति एवं सुझाव, यदि कोई हो, सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड को प्रेषित किये जा सकेंगे;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आपत्तियों या सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

प्रारूप नियमावली

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम 'उत्तराखण्ड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली, 2024' है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निगम क्षेत्रों पर होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) "डेयरी पशु" से दुधारु पशु, जिनमें गाय, बैल, बछिया, भैंस, भैंसा एवं उनके बछड़े/बछड़ियॉ सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है;

(ख) "अलाभकर पशु" से अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार एवं घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस–प्रशासन/नगर निकाय द्वारा पशु तस्करों अथवा पशु क्रूरता के प्रकरणों में जब्त किये गये केस प्रॉपर्टी गोवंश अभिप्रेत है;

(ग) "व्यावसायिक डेयरी परिसर" से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जहां 10 से अधिक डेयरी पशुओं को व्यावसायिक उद्देश्य से लाभ हेतु रखा गया हो;

(घ) "पशु चिकित्सक" से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (Veterinary Council of India) से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक तथा उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् (Uttarakhand Veterinary Council) के अन्तर्गत पंजीकृत पशु चिकित्साविद् अभिप्रेत है;

(ङ) "नगर निगम पशु चिकित्सक" से नगर निगम में पूर्णकालिक अथवा

अंशकालिक अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अथवा सम्बद्धीकृत अथवा अतिरिक्त प्रभार पर अथवा संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सक अभिप्रेत है;

(च) "क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी" से उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग द्वारा किसी क्षेत्र में नियुक्त किया गया पशु चिकित्साविद् अभिप्रेत है;

(छ) "जिला एस0पी0सी0ए0" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत प्रख्यापित एस0पी0सी0ए0 नियमावली, 2001 के तहत, सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिलास्तरीय पशु क्रूरता निवारण समिति (डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी फॉर प्रिवेन्सन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स) अभिप्रेत है;

(ज) "व्यावसायिक डेयरी पशु स्वामी" से ऐसे पशुस्वामी अभिप्रेत है, जिसके द्वारा 10 से अधिक डेयरी पशुओं को व्यावसायिक उद्देश्य से लाभ हेतु रखा गया हो।

(झ) "डेयरी पशु स्वामी" से ऐसे पशु स्वामी अभिप्रेत है, जिसके द्वारा 10 या 10 से कम डेयरी पशुओं को व्यावसायिक उद्देश्य से लाभ हेतु रखा गया हो।

लागू होना

3. यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समस्त व्यावसायिक डेयरी परिसरों पर लागू होगी।

अनुज्ञा हेतु शर्तें

4. (1) व्यावसायिक डेयरी परिसर के अनुज्ञाकरण हेतु आवेदन से पूर्व, सम्बन्धित पशु स्वामी द्वारा अनिवार्य रुप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति (consent to establish and consent to operate) लेते हुए इस अभिलेख की सत्यापित छायाप्रति सम्बन्धित नगर निकाय को जमा करायी जायेगी। सम्बन्धित पशु स्वामी द्वारा अनिवार्य रुप से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(2) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत व्यावसायिक डेयरी परिसर संचालित किये जाने हेतु, सम्बन्धित व्यावसायिक डेयरी स्वामी को, नगर निगम से परिशिष्ट–01 के अनुरुप निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत व्यावसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर निगम के पक्ष में नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ, प्ररूप–1 के अनुरुप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदेय (non refundable) होगा।

(4) नगर आयुक्त द्वारा, प्रत्येक आवेदन प्रकरण में नगर निगम पशु चिकित्सक के नेतृत्व में निरीक्षण दल गठित कर व्यावसायिक डेयरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण कराया जायेगा। निरीक्षण दल द्वारा प्ररूप–2 पर स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(5) नगर आयुक्त द्वारा, निरीक्षण दल की प्ररूप–2 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर सम्बन्धित व्यावसायिक डेयरी परिसर को अनुज्ञप्ति प्रदत्त किये जाने के क्रम में निर्णय लिया जायेगा। अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्तता की स्थिति में, व्यावसायिक डेयरी परिसर में वयस्क पशुओं की अधिकतम अनुमन्य संख्या उल्लिखित

करते हुए प्ररूप–3 के अनुरुप अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

(6) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेयरी परिसर का स्वामी अनुज्ञप्ति के प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा।

(7) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेयरी परिसर के स्वामी द्वारा स्वयं के डेयरी परिसर में मुख्य दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

(8) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय–समय पर अथवा वर्ष में एक बार सभी व्यावसायिक डेयरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। अनुज्ञप्ति के प्रतिबन्धों/शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर अनुज्ञा–पत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा तद्नुरूप शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

(9) नगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञा पत्र 05 वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा एवं 01 से 10 वर्ष तक के पशुओं हेतु ₹ 1000/– प्रति पशु एवं 10 से 20 वर्ष तक के पशुओं हेतु ₹ 2000/– प्रति पशु पंजीकरण शुल्क व्यवसायिक डेयरी पशु स्वामी द्वारा देय होगा।

(10) अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुपयुक्तता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी।

(11) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत बिना अनुज्ञप्ति के व्यावसायिक डेयरी परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर आयुक्त द्वारा, सम्बन्धित पशु स्वामी पर परिशिष्ट–01 के अनुरुप, शमन के माध्यम से निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित कर अर्थदण्ड की वसूली की जा सकेगी।

अनुज्ञप्ति का पुनर्नवीनीकरण

5. सम्बन्धित व्यावसायिक डेयरी पशु स्वामी द्वारा अनुज्ञा पत्र की समाप्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व, अनुज्ञा पत्र के पुनर्नवीनीकरण हेतु परिशिष्ट–01 के अनुरुप निर्धारित शुल्क के साथ प्ररूप–1 के अनुरुप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त को आवेदन करना होगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (Solid Waste Management)

6. सम्बन्धित व्यावसायिक डेयरी पशु स्वामी द्वारा परिसर अन्तर्गत नियमित अन्तराल पर ठोस अपशिष्ट (गोबर, बिछावन घास इत्यादि) को नियमित अन्तराल पर एकत्रित किया जायेगा। एकत्रित किये गये ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ट खाद अथवा कर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार किये जाने अथवा बायोगैस संयंत्र अथवा कम्प्रैस्ड बायोगैस संयंत्र में उपयोग किये जाने अथवा उपले (गोकाष्ठ) के निर्माण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, यह नालियों/नहरों/नदियों/तालाबों/झीलों/झरनों अथवा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में निस्तारित न होने पाये। परिसर को दुर्गन्धमुक्त रखे जाने हेतु डेयरी परिसर के फर्श पर नियमित रुप से चूना अथवा किसी अन्य कीटाणुरोधी पदार्थ का नियमित रुप से छिड़काव किया जायेगा। व्यावसायिक डेयरी पशुस्वामी द्वारा ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबन्धन सुनिश्चित किये जाने हेतु उचित संख्या में श्रमिक तथा संसाधन का नियोजन किया जायेगा।

अपशिष्ट जल प्रबन्धन (Waste water Management)

7. सम्बन्धित व्यावसायिक डेयरी पशु स्वामी द्वारा परिसर अन्तर्गत डेयरी पशुओं के पेयजल तथा सफाई इत्यादि पर जल का अपव्यय न किये जाने हेतु अधिकतम 150 लीटर प्रति पशु प्रति दिन जल का ही उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। व्यावसायिक डेयरी पशु स्वामी द्वारा, अपशिष्ट जल का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरुप उचित शोधन के उपरान्त ही निकासी की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, डेयरी परिसर का अपशिष्ट जल भूमि के भीतर

जाकर भूजल स्रोतों को प्रदूषित न करने पाये। डेयरी परिसर स्वामी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि, परिसर के अपशिष्ट जल के कारण फर्श फिसलन भरा न होने पाये।

वायु गुणवत्ता प्रबन्धन (Air Quality Management)

8. सम्बन्धित व्यावसायिक डेयरी पशु स्वामी द्वारा परिसर अन्तर्गत दुर्गन्ध की रोकथाम तथा आर्द्रता के नियंत्रण हेतु ताजी हवा के सुचारु आवागमन तथा सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। पशुओं की आवासीय व्यवस्था एवं रखरखाव हेतु भारतीय मानक ब्यूरो के मानदण्डों का अनुपालन किया जायेगा तथा डेयरी परिसर में वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जायेगा। पशुपालन विभाग अथवा दुग्ध विकास विभाग अथवा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अथवा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अथवा कृषि विज्ञान केन्द्र के तकनीकी परामर्शानुरुप उचित पशु पोषण सुनिश्चित किया जायेगा।

समूहों में पृथक्करण

9. पशुशाला अन्तर्गत बड़ी संख्या में डेयरी पशु रखे जाने की स्थिति में पशुओं को लिंग, आयुवर्ग, उत्पादकता, गर्भावस्था, स्वास्थ्य स्थिति के अनुरुप पृथक–पृथक समूहों में रखा जायेगा। रोगी पशुओं को पृथक से रखा जायेगा।

मौसम से बचाव

10. (1) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को तेज धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, धूल, ऊष्ण हवाओं, बर्फ तथा अन्य मौसमी कष्टों से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(2) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को अनावश्यक क्रूरता, घुटन (suffocation), सीलन (dampness) तथा क्षमता से अधिक रखे जाने (overcrowding) से बचाव हेतु परिशिष्ट–2 (BIS : 1223-1987) में वर्णित संदर्भ के अनुरुप वयस्क पशुओं हेतु न्यूनतम कवर्ड एरिया 40 वर्ग–फुट प्रति पशु तथा शिशु पशुओं हेतु न्यूनतम कवर्ड एरिया 10 वर्ग–फुट प्रति पशु फर्श स्थान उपलब्ध कराते हुए वायु के आवागमन (ventilation) एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश (natural sunlight) की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

बांधना

11. डेयरी पशुओं को लगातार बांध कर नहीं रखा जायेगा तथा रस्सी की लंबाई 3 मीटर से कम की नहीं होगी तथा उन्हें प्रतिदिन 2 से 4 घंटे तक व्यायाम/खुले में चलने के लिए छोड़ा जायेगा। पशुओं के व्यायाम/खुले में विचरण करने हेतु गौशाला हेतु प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग खुले स्थान के रूप में रखा जायेगा।

स्वतंत्र गतिविधि

12. पशुओं को रखने के स्थान को स्वतंत्र गतिविधियों के लिए उपयुक्त रखा जायेगा। (उदाहरण के लिए गलियारा इतना चौड़ा होना चाहिए ताकि दो पशु आसानी से बिना किसी बाधा के वहां से निकल सकें)

फर्श

13. (1) फर्श आराम से बैठने, खड़े रहने, संकर्षण तथा भूमि से पृथक्किरण के योग्य होगा।

(2) बैठने के स्थान पर बिछावन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(3) फर्श पूरी तरह सपाट, फिसलनभरा, कठोर अथवा अधिक खुरदुरा नहीं रखा जायेगा तथा कम से कम गीला रखा जायेगा।

पशुपालन प्रबन्धन (Animal Management)

14. पशुओं को कम तनाव के तरीकों से हांका जाय, जिसमें छड़ी के प्रयोग की बजाए उन्हें थपथपाया जाय। बिजली के अंकुश का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

अंगभंग
(Mutilation)

15. अंगभंग की प्रक्रिया कम से कम होनी चाहिए। यदि दागना, नाक में छल्ला डालना, पूंछ काटना अथवा विश्रृंगीकरण (Dehorning) अथवा समस्यावश पशु की सींग निकालना अथवा बधिया करना आवश्यक हो तो वह पशु के यौवनावस्था (संकर नस्लवाले पशुओं हेतु लगभग 6 महीने की आयु में तथा भारतीय नस्ल के पशुओं हेतु 18 महीने की आयु) में ही अर्ह पशु चिकित्सक के माध्यम से यह प्रक्रियाऐं पूर्ण करायी जायें। इस क्रिया में पशु चिकित्सक द्वारा उचित मात्रा में उपशामक (Tranquillizers), स्थानीय निस्चेतक (Local Anaesthetics) तथा दर्दनिवारक (Analgesics) औषधियों का उपयोग करते हुए पशुओं को अनावश्यक पीड़ा से बचाया जायेगा।

दूध दुहना

16. (1) दूध निकालते समय पूरा ध्यान रखा जायेगा कि डेयरी पशु को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे तथा उसके थनों एवं दुग्ध को किसी प्रकार के संक्रमण अथवा क्षति से बचाया जाये।

(2) थनों को अनावश्यक पीड़ा एवं क्षति से बचाये जाने हेतु दूध दुहने में 'अंगूठे से दुग्ध दोहन विधि (Knuckling Method)" के स्थान पर "पूरे हाथ से दुग्ध दोहन विधि (Full Hand Method)" का प्रयोग किया जायेगा।

बाहरी हार्मोन्स का प्रयोग

17. (1) दूध निकाले जाने हेतु ऑक्सीटोसिन हार्मोन अथवा कोई भी अन्य रसायन का प्रयोग निषिद्ध होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग अवैध तथा दण्डनीय अपराध है।

(2) चिकित्सकीय प्रयोजन हेतु अर्ह पशु चिकित्सक के लिखित नुस्खे के अंतर्गत ही हॉर्मोन का प्रयोग विधिमान्य है।

आहार

18. डेयरी पशुओं को उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुरुप पर्याप्त मात्रा में संतुलित एवं पौष्टिक भोजन दिया जायेगा। भोजन में उचित अनुपात में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तथा रेशे की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। आहार में अचानक परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

पेयजल व्यवस्था

19. डेयरी पशुओं को भरपूर मात्रा में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उनकी मांद में पर्याप्त स्थान रखा जायेगा।

देखभाल करने वाले कर्मचारी

20. पशुओं की देखभाल करने हेतु पर्याप्त संख्या में ऐसे निपुण श्रमिकों को नियोजित किया जाय जो कि डेयरी पशुओं का भली प्रकार ध्यान रख पाने में समर्थ हों तथा इन पशुओं के झुंड को तनाव तथा भय मुक्त रखने में अभ्यस्त हों।

स्वास्थ्य की देखभाल (Animal Health Care) -

पशु चिकित्सक

21. व्यावसायिक डेयरी प्रतिष्ठान द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, गर्भावस्था निदान, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान (Deworming), बाह्य–परजीवीनाशी दवाओं, टीकाकरण, महामारी रोकथाम, रोगनिदान तथा अन्य चिकित्सकीय प्रयोजन हेतु नियमित रुप से अर्ह पशु चिकित्सक से सेवायें सुनिश्चित की जायेंगी। पशुओं में महामारी फैलने की प्रभावी रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की नीतियों के अनुरुप टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

डेयरी पशुओं का दैनिक निरीक्षण

22. डेयरी स्वामी द्वारा पशु समूह का प्रतिदिन, किसी प्रकार की बीमारी, चोट, लंगड़ाहट, मुद्रा में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, भूख–प्यास में कमी, गोबर अथवा मूत्र में परिवर्तन, दूध में रक्त अथवा अन्य स्राव, खुरों की अनियमित वृद्धि, पेट फूलना, नथुनों का सूखना, घुटन अथवा जीभ बाहर निकालना, जुगाली न करना, नाक, आँख अथवा कान से स्राव, मुंह मे झाग आना अथवा आवाज में परिवर्तन अथवा दुबलापन या मोटापे जैसे लक्षणों का भली प्रकार से निरीक्षण किया जायेगा जिससे पशु चिकित्सक द्वारा समय पर उपचार किया जा सके।

कान की टैगिंग

23. पशुपालन विभाग के सहयोग से शहर के सभी मवेशियों की पहचान, स्वास्थ्य की स्थिति, टीकाकरण एवं अन्य सूचनाओं का संदर्भ रखे जाने हेतु कान पर टैगिंग (अथवा अन्य उन्नत तकनीक युक्त पहचान चिन्ह) अनिवार्य होगी।

बीमार पशु को अलग रखना

24. बीमार पशुओं के आहार, पेयजल, तथा दूध दुहने की पृथक से व्यवस्था बनाते हुए अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जायेगा।

लेखाजोखा (रिकॉर्ड) रखना

25. व्यावसायिक डेयरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञा–पत्र प्राप्त करने के बाद, व्यावसायिक डेयरी पशु स्वामी द्वारा विहित प्रपत्रों में निम्नलिखित लेखाजोखा रखा जायेगा :–

(क) विहित प्रपत्र के अनुरुप रखे गये सभी पशुओं का विवरण।
(ख) पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण।
(ग) पशुओं के टीकाकरण/टॉक्साइड/सर्पदंश एण्टीवैनम का विवरण।
(घ) कृमिरोधी दवापान का विवरण।
(ङ) पशुओं का गर्भाधान/नस्ल का विवरण।
(च) पशुओं के क्रय–विक्रय का विवरण।

लिंग निर्धारित वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination by Sex Sorted Semen)–

26. पशुपालन मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग ने लिंग निर्धारित वीर्य के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान की नवीनतम तकनीक शुरू की है, जो 90% से अधिक मामलों में मादा बछड़ों का जन्म सुनिश्चित करती हैं। डेयरी स्वामियों द्वारा नर गोवंश के बछड़ों के परित्याग की कुरीति पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नगर क्षेत्र के डेयरी स्वामी द्वारा मादा गोवंशीय पशुओं को अनिवार्य रुप से लिंग निर्धारित वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से गर्भाधान कराया जायेगा। कृत्रिम गर्भाधान के तीन माह के उपरान्त गर्भावस्था का परीक्षण योग्य पशु चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए।

नस्ल का चुनाव

27. स्थानीय कृषि–जलवायु परिस्थिति के साथ सामंजस्य वाले मौसम के अनुकूल, परजीवियों तथा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी तथा दीर्घायु नस्ल वाले डेयरी पशुओं का चुनाव किया जाय। बहुधा अवांछित नर बछड़ों के परित्याग कर दिये जाने की अवैध परम्परा के निवारण हेतु यथासम्भव गर्भाधान लैंगिक वीर्य (sexed semen) के माध्यम से एवं नस्ल के अनुसार कराया जाय तथा उन्हें स्वस्थ रखा जाए। गर्भाधान के 03 माह उपरान्त ही, अर्ह पशु चिकित्सक से गर्भावस्था का परीक्षण कराया जाय।

स्तन्य त्याग (Weaning)

28. कम से कम तीन महीने तक नवजात शिशु पशुओं को उनकी मां के साथ रखते हुए धीरे–धीरे स्तन त्याग किया जायेगा।

नवदुग्ध (Colostrum)

29. जन्म के तुरंत बाद माता द्वारा अपने बछड़े को चाटने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बछड़े को जन्म के 1–2 घंटे के भीतर ही नवदुग्ध (खीस) दिया जाये। यदि बछड़े की मां की मृत्यु हो गयी हो या उसका नवदुग्ध (खीस) अल्प मात्रा में हो रहा हो तो बछड़े को अन्य माता द्वारा या कृत्रिम रूप से नवदुग्ध (खीस) दिया जाए।

बछड़ों को रखना

30. बछड़ों को उनकी मां के साथ स्वच्छ तथा सूखी जगह बिछावन पर रखा जाय। यदि उन्हें उनकी माताओं से अलग किया जाता है तो उन्हें अन्य पशुओं के आसपास रखना चाहिए अधिमानतः जोड़े में या छोटे समूहों में।

नर बछडों का बन्ध्यकरण

31. नगर क्षेत्र के डेयरी स्वामी द्वारा अनिवार्य रुप से 4 माह से अधिक आयु वाले नर बछड़ों का बन्ध्याकरण कराया जायेगा। 4–5 माह के नर बछड़ों को नसबंदी के उपरान्त रू0 500 प्रति पशु की दर से सरकारी/गैर सरकारी गौशालाओं को भेज दिया जाए।

अलाभकर पशु हेतु–मानवोचित वैधानिक व्यवस्था

32. (1) प्रत्येक व्यावसायिक डेयरी परिसर के स्वामी द्वारा अलाभकारी अनुत्पादक पशुओं को एक मानवोचित वैधानिक व्यवस्था के अनुरुप स्थानीय गैर–सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं/गोसदनों/पशु शरणालयों के सहयोग एवं समन्वय से निस्तारित किया जाय। नगर निकायों द्वारा इन गौवंश शरणालयों/कांजी हाउस का संचालन स्वयं के संसाधनों से अथवा शुल्क अधिरोपित कर अथवा अर्थदण्ड से अर्जित आय के माध्यम से अथवा जनसहयोग के माध्यम से अथवा गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं के माध्यम से अथवा अन्य रीतियों से किया जाना अपेक्षित है।

(2) डेयरी पशु स्वामी अथवा व्यावसायिक डेयरी पशु स्वामी द्वारा किसी भी डेयरी पशुओं को त्यागना अथवा आवारा छोड़ना अवैध तथा दण्डनीय अपराध है। इस क्रम में दोषी पाये जाने पर, नगर आयुक्त अपराध का शमन तथा परिशिष्ट–01 के अनुरुप विहित अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिए अधिकृत है।

(3) किसी भी पशु को जान से मारना, शिशु पशुओं को भूखा रख कर जान से मारना या त्यागना या धूप में बांध कर प्यासा मारना अवैध तथा दण्डनीय अपराध है।

अपशिष्ट प्रबन्धन एवं गोबर का निस्तारण

33. प्रत्येक व्यावसायिक डेयरी परिसर के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, गोबर, बिछावन, भूसा तथा गोमूत्र का निस्तारण न तो नालियों में किया जायेगा, न ही इसे नहरों, नदियों, तालाबों प्राकृतिक जलस्रोतों में निस्तारित किया जायेगा और न ही इसे जलाया जायेगा। अपितु इस कार्य हेतु परिशिष्ट–01 के अनुरुप निर्धारित शुल्क का भुगतान कर, गोबर का निस्तारण किया जायेगा।

स्वच्छता एवं दुर्गन्ध प्रबन्धन

34. प्रत्येक व्यावसायिक डेयरी परिसर के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, परिसर पूर्णतः स्वच्छ एवं दुर्गन्धविहीन रहे। चूहों, मक्खियों एवं मच्छरों के नियंत्रण हेतु नियमित रुप से प्रयास किये जायेंगे।

डेयरी परिसरों का नगरीय क्षेत्रों से बाहर विस्थापन

35. नगर निगम बोर्ड द्वारा डेयरी परिसरों को नगरीय क्षेत्रों से बाहर विस्थापित किये जाने का निर्णय लिये जाने पर प्रत्येक अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेयरी परिसर के स्वामी द्वारा सहयोग किया जायेगा।

मृत पशुओं का निस्तारण

36. डेयरी पशुओं की मृत्यु की दशा में सम्बन्धित पशु स्वामी द्वारा परिशिष्ट–01 के अनुरुप निर्धारित शुल्क का भुगतान कर, शव का निस्तारण नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया/दिशा–निर्देशों के अनुरुप सुनिश्चित किया जायेगा।

परित्यक्त आवारा गोवंश का प्रबन्धन

37. सम्बन्धित नगर निगम द्वारा इस नियमावली के अधीन विभिन्न प्रकार के शुल्क एवं अर्थदण्ड से अर्जित आय का उपयोग नगर क्षेत्र के परित्यक्त आवारा गोवंश के प्रबन्धन हेतु स्थापित कांजी हाउस/गौशाला शरणालय के प्रबन्धन हेतु किया जा सकेगा। इस क्रम में नगर निगम द्वारा समय–समय पर शुल्क/अर्थदण्ड की दरों का पुनर्निधारण किया जा सकेगा। नगर निगम द्वारा कांजी हाउस/गौशाला शरणालय के प्रबन्धन हेतु स्वयं के संसाधनों से अथवा विभिन्न गैरसरकारी पशु कल्याण संस्थाओं/धर्मार्थ संस्थाओं/दानदाताओं का सहयोग लिया जा सकेगा।

नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन की दशा में दण्ड

38. डेयरी पशु स्वामी अथवा व्यावसायिक डेयरी पशुस्वामी द्वारा इस नियमावली के तहत प्रावधानित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर, नगर आयुक्त परिशिष्ट–01 के अनुरुप निर्धारित अर्थदण्ड की वसूली कर सकेगा। पशु हत्या अथवा पशु को मृत्युंकारी रुप से घायल किये जाने की दशा में पृथक से कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक डेयरी स्वामियों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनों के अनुरुप कार्यवाही की जा सकती है।

नगर निकायों द्वारा व्यावसायिक डेयरी परिसरों का अनुश्रवण

39. नगर निकायों द्वारा परिशिष्ट–03 (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित Annexure-A) के अनुरुप व्यावसायिक डेयरी परिसर से सम्बन्धित सूचनाओं का अभिलेखीकरण करते हुए, वार्षिक रुप से सूचनाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से साझा किया जायेगा। नगर निकायों द्वारा यथासम्भव ऑन लाइन रीति से समस्त व्यावसायिक डेयरी परिसरों का पंजीकरण किया जायेगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नगर निकायों द्वारा समस्त व्यावसायिक डेयरी स्वामियों तथा कार्मिकों को अपशिष्ट प्रबन्धन तथा प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(नितिन सिंह भदौरिया)
अपर सचिव।

प्ररुप '1'

व्यावसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु अनुज्ञा के क्रम में आवेदन हेतु प्रपत्र

सेवामें,

नगर आयुक्त,
नगर निगम .....।

महोदय,

निवेदन है कि, मेरे (नाम) ..... पुत्र श्री ..... आयु .....निवासी ..... डाकघर ..... पुलिस थाना ..... जिला ..... द्वारा स्वयं के स्वामित्वाधीन अधोवर्णित व्यावसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति (consent to operate) ले ली गयी है। तदनुसार अभिलेख की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत है। मैं व्यावसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुपालन हेतु कृत संकल्पित हूँ। नगर निकाय द्वारा व्यावसायिक डेयरी परिसर हेतु अनुज्ञा–पत्र निर्गत किये जाने के क्रम में निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत है :–

क) व्यावसायिक डेयरी परिसर में रखे गये पशुओं का विवरण :

प्रजाति/नस्ल	लिंग	रंग	पूंछ	आयु	ब्यांत (गर्भधारित)	सींग	टैग नं0

ख) व्यावसायिक डेयरी परिसर में रखे गये पशुओं हेतु स्थान :

(i) छत से ढका क्षेत्रफल (covered area) :

(ii) खुला क्षेत्रफल (open area) :

ग) आवासीय व्यवस्था :

(i) फर्श का प्रकार (floor type) :

(ii) प्राकृतिक प्रकाश एवं हवादार वायुप्रवाह (natural light and ventilation):

(iii) पशुओं को बांधकर रखे जाने की स्थिति में रस्सी की लम्बाई :

(iv) रोगी पशुओं को अलग से रखे जाने की व्यवस्था :

घ) परामर्शदाता पशुचिकित्सक का नाम/पता/दूरभाष सख्या :

ङ) गोबर/मूत्र के निस्तारण हेतु व्यवस्था :

च) अलाभकर/अनुत्पादक/वृद्ध पशुओं के निस्तारण हेतु व्यवस्था :

मैं ''उत्तराखण्ड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली, 2024'' के समस्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु कृत संकल्पित हूँ। अतः अनुरोध है कि, अधोहस्ताक्षरी को व्यावसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने की कृपा करेंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर :

आवेदन दिनांक :

दूरभाष संख्या :

नगर निगम कार्यालय में प्राप्ति दिनांक मुहर :

प्ररुप '2'

व्यावसायिक डेयरी परिसर के स्थलीय निरीक्षण हेतु प्रपत्र

व्यावसायिक डेयरी परिसर स्वामी का नाम :

पिता का नाम :

पता :

निरीक्षण बिन्दु — जॉच दल की आख्या

I– **पशुओं को रखने का स्थान (हाउसिंग)**

1. **समूहों में पृथक्करण** – पशुशाला अन्तर्गत बड़ी संख्या में डेयरी पशु रखे जाने की स्थिति में इन पशुओं को लिंग, आयुवर्ग, उत्पादकता, गर्भावस्था, स्वास्थ्य स्थिति के अनुरुप पृथक–पृथक समूहों में रखा जायेगा। रोगी पशुओं को पृथक से रखा जायेगा।

2. **मौसम से बचाव** –

(क) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को तेज धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, धूल, ऊष्ण हवाओं, बर्फ तथा अन्य मौसमी कष्टों से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ख) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को अनावश्यक क्रूरता, घुटन (suffocation), सीलन (dampness) तथा क्षमता से अधिक रखे जाने (overcrowding) से बचाव हेतु तालिका 1 (*BIS : 1223-1987*) में वर्णित संदर्भ के अनुरुप वयस्क पशुओं हेतु न्यूनतम कवर्ड एरिया 40 वर्ग फुट प्रति पशु तथा शिशु पशुओं हेतु न्यूनतम कवर्ड एरिया 10 वर्ग फुट प्रति पशु फर्श स्थान उपलब्ध कराते हुए वायु के आवागमन (ventilation) एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश (natural sunlight) की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

3. **बांधना** – डेयरी पशुओं को लगातार बांध कर नहीं रखा जायेगा तथा रस्सी की लंबाई 3 मीटर से कम की नहीं होगी तथा उन्हें प्रतिदिन 2 से 4 घंटे तक व्यायाम/खुले में चलने के लिए छोड़ा जायेगा।

4. **स्वतंत्र गतिविधि** – पशुओं को रखने के स्थान को स्वतंत्र गतिविधियों के लिए उपयुक्त रखा जायेगा। (उदाहरण के लिए गलियारा इतना चौड़ा होना चाहिए ताकि दो गाएं आसानी से बिना किसी बाधा के वहां से निकल सकें।)

5. **फर्श** –

(क) फर्श आराम से बैठने, खड़े रहने, संकर्षण तथा ज़मीन पर पृथक्करण के योग्य होगा।

(ख) बैठने के स्थान पर बिछावन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ग) फर्श पूरी तरह सपाट, फिसलनभरा, कठोर अथवा अधिक खुरदुरा नहीं रखा जायेगा तथा कम से कम गीला रखा जायेगा।

6. **पशुपालन प्रबन्धन (हसबैण्डरी)** – पशुओं को कम तनाव के तरीकों से हांका जाय, जिसमें छड़ी के प्रयोग की बजाए उन्हें थपथपाया जाय। बिजली के अंकुश का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

7. **अंगभंग (म्युटिलेशन)** – अंगभग की प्रक्रिया कम से कम होनी चाहिए। यदि दागना, नाक में छल्ला डालना, पूंछ काटना अथवा विशृंगीकरण (dehorning) अथवा समस्यावश पशु की सींग निकालना अथवा बधिया करना आवश्यक हो तो वह पशु के यौवनावस्था (संकर नस्लवाले पशुओं हेतु लगभग 6 महीने की आयु में तथा भरतीय नस्ल के पशुओं हेतु 18 महीने की आयु) में ही अर्ह पशु चिकित्सक के माध्यम से यह प्रक्रियाऐं पूर्ण करायी जाये। इस क्रिया में पशुचिकित्सक द्वारा उचित मात्रा में उपशामक (Tranquillizers), स्थानीय निश्चेतक (Local Anaesthetics) तथा दर्दनिवारक (Analgesics) औषधियों का उपयोग करते हुए पशुओं अनावश्यक पीड़ा से बचाया जायेगा।

8. **दूध दुहना** –

(क) दूध निकालते समय पूरा ध्यान रखा जायेगा कि डेयरी पशु को अनावश्यक कष्ट न पहुंचे तथा उसके थनों एवं दुग्ध को किसी प्रकार के संक्रमण अथवा क्षति से बचाया जाये।

(ख) थनों को अनावश्यक पीडा एवं क्षति से बचाये जाने हेतु दूध दुहने में "अंगूठे से दुग्ध दोहन विधि (Knuckling Method)" के स्थान पर "पूरे हाथ से दुग्ध दोहन विधि (Full Hand Method)" का प्रयोग किया जायेगा।

9. **बाहरी हार्मोन्स का प्रयोग** –

(क) दूध निकाले जाने हेतु ऑक्सीटोसिन हार्मोन अथवा कोई भी अन्य रसायन का प्रयोग निषिद्ध होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग अवैध तथा दण्डनीय अपराध है।

(ख) चिकित्सकीय प्रयोजन हेतु अर्ह पशु चिकित्सक के लिखित नुस्खे के अंतर्गत ही हॉर्मोन का प्रयोग विधिमान्य है।

10. **आहार** – डेयरी पशुओं को उनकी शारीरिक आवश्यकता के अनुरुप पर्याप्त मात्रा में संतुलित एवं पौष्टिक भोजन दिया जायेगा। भोजन में उचित अनुपात में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, तथा रेशे की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। आहार में अचानक परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

11. **पेयजल व्यवस्था** – डेयरी पशुओं को भरपूर मात्रा में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु उनकी मांद में पर्याप्त स्थान रखा जायेगा।

12. **देखभाल करने वाले कर्मचारी** – पशुओं की देखभाल करने हेतु पर्याप्त संख्या में ऐसे निपुण श्रमिकों को योजित किया जाय जो कि डेयरी पशुओं का भली प्रकार ध्यान रख पाने में समर्थ हों तथा पशु समूह को तनाव तथा भय मुक्त रखने में अभ्यस्त हों।

II– स्वास्थ्य की देखभाल

13. **पशु चिकित्सक** – व्यावसायिक डेयरी परिसर द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य की जांच, गर्भावस्था निदान, टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान (Deworming), बाह्यपरजीवीनाशी दवाओं, प्रतिरक्षण, महामारी रोकथाम, रोगनिदान तथा अन्य चिकित्सकीय प्रयोजन हेतु नियमित रुप से अर्ह पशु चिकित्सक से सेवायें सुनिश्चित की जायेंगी। पशुओं में महामारी फैलने की प्रभावी रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड की नीतियों के अनुरुप टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. **डेयरी पशुओं का दैनिक निरीक्षण** – डेयरी स्वामी द्वारा पशुओं के समूह का प्रतिदिन, किसी प्रकार की बीमारी, चोट, लंगडाहट, खड़े रह पाने में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, भूख–प्यास में कमी, गोबर अथवा मूत्र में परिवर्तन, दूध में रक्त अथवा अन्य श्राव, खुरों की अनियमित वृद्धि, पेट फूलना, नथुनों का सूखना, घुटन अथवा जीभ बाहर निकालना, जुगाली न करना, नाक अथवा कान से श्राव, मुंह से झाग निकलना अथवा आवाज में परिवर्तन अथवा दुबलापन या मोटापे जैसे लक्षणों का उचित प्रकार से निरीक्षण करते हुए यथासमय पशु चिकित्सक द्वारा उपचार कराया जायेगा।

15. **कान की टैगिंग** –पशुपालन विभाग के सहयोग से शहर के सभी मवेशियों की पहचान, स्वास्थ्य की स्थिति, टीकाकरण एवं अन्य सूचनाओं का संदर्भ रखे जाने हेतु कान पर अनिवार्य टैगिंग

(अथवा अन्य उन्नत तकनीक युक्त पहचान चिन्ह) आवश्यक होगी।

16. **बीमार पशु** –बीमार पशुओं के आहार, पेयजल, तथा दूध दुहने की पृथक से व्यवस्था बनाते हुए अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखा जायेगा।

17. **लेखाजोखा (रिकॉर्ड) रखना**– व्यावसायिक डेयरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंजिका में अभिलेखों का लेखाजोखा रखा जायेगा :–

(क) डेयरी परिसर में रखे गये सभी पशुओं का विवरण।

(ख) पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण।

(ग) पशुओं के टीकाकरण/टॉक्साइड/सर्पदंश एण्टीवैनम का विवरण।

(घ) कृमिरोधी दवापान का विवरण।

(ङ) पशुओं का गर्भाधान/नस्ल का विवरण।

(च) पशुओं के क्रय–विक्रय का विवरण।

18. **नस्ल का चुनाव**– स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थिति के साथ सामंजस्य वाली, मौसम के अनुकूल, परजीवियों तथा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी तथा दीर्घायु वाली नस्ल के डेयरी पशुओं का चुनाव किया जाय। बहुधा अवांछित नर बछड़ों के परित्याग कर दिये जाने की अवैध परम्परा के निवारण हेतु यथासम्भव लिंग निर्धारित वीर्य के माध्यम से ही गर्भाधान कराया जाय एवं प्रजनन के अनुसार करना चाहिए तथा उन्हें स्वस्थ रखना चाहिए। इसके लिए गर्भाधान के 3 माह बाद ही, अर्ह पशु चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था का परीक्षण कराया जाये।

19. **स्तन्य त्याग (वीनिंग)** – कम से कम तीन महीने तक नवजात शिशु पशुओं को उनकी मां के साथ रखते हुए धीरे–धीरे स्तन त्याग किया जायेगा।

20. **नवदुग्ध (कॉलोस्ट्रम)** – जन्म के तुरंत बाद माता द्वारा अपने बछड़े को चाटने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बछड़े को जन्म के 1–2 घंटे के भीतर ही नवदुग्ध दिया जाये। यदि बछड़े की मां की मृत्यु हो गयी हो या उसका नवदुग्ध अल्प मात्रा में हो रहा हो तो बछड़े को अन्य माता द्वारा या कृत्रिम रूप से नवदुग्ध दिया जाय।

21. **बछड़ों को रखना** – बछड़ों को स्वच्छ तथा सूखी जगह बिछावन

पर उनकी मां के साथ रखा जाय। यदि उन्हें उनकी माताओं से अलग किया जाता है तो उन्हें अन्य पशुओं के आसपास रखना चाहिए, अधिमानतः जोड़े में।

22. **लिंग निर्धारित वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination by Sex Sorted Semen)**- डेयरी स्वामियों द्वारा नर गोवंश के बछड़ों के परित्याग की कुरीति पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु नगर क्षेत्र के डेयरी स्वामी द्वारा मादा गोवंशीय पशुओं को अनिवार्य रुप से लिंग निर्धारित वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान तकनीक से गर्भाधान कराया जायेगा।

III– अलाभकर पशु

23. **मानवोचित वैधानिक व्यवस्था –**

(क) प्रत्येक व्यावसायिक डेयरी परिसर के स्वामी द्वारा अलाभकारी अनुत्पादक पशुओं के लिए एक मानवोचित वैधानिक व्यवस्था के अनुरुप इन्हें स्थानीय अशासकीय पशु कल्याण संस्थाओं/ गोसदनों/ पशु शरणालयों के सहयोग एवं समन्वयन से निस्तारित किया जाय। नगर निकायों द्वारा इन गौशाला शरणालयों/कांजी हाउस का संचालन स्वयं के संसाधनों से अथवा शुल्क निरोपित कर अथवा अर्थदण्ड से अर्जित आय के माध्यम से अथवा जनसहयोग के माध्यम से अथवा गैर सरकारी पशु कल्याण संस्थाओं के माध्यम से अथवा अन्य रीतियों से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) डेयरी पशु स्वामी अथवा व्यावसायिक डेयरी पशु स्वामी द्वारा किसी भी डेयरी पशुओं को त्यागना अथवा आवारा छोड़ना अवैध तथा दण्डनीय अपराध है। इस क्रम में दोषी पाये जाने पर, नगर आयुक्त द्वारा, दोषी पर परिशिष्ट–01 के अनुरुप, शमन के माध्यम से निर्धारित अर्थदण्ड आरोपित कर अर्थदण्ड की वसूली की जा सकेगी।

(ग) किसी भी पशु को जान से मारना, शिशु पशुओं को भूखा रख कर जान से मारना या त्यागना या धूप में बांध कर प्यासा मारना अवैध तथा दण्डनीय अपराध है।

24. **अपशिष्ट प्रबन्धन** – प्रत्येक व्यावसायिक डेयरी परिसर के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, गोबर, बिछावन, भूसा तथा गोमूत्र का निस्तारण न तो नालियों में किया जायेगा, न ही इसे नहरों, नदियों, तालाबों प्राकृतिक जलस्रोतों में निस्तारित किया जायेगा और न ही इसे जलाया जायेगा। अपितु इस कार्य हेतु पृथक से व्यवस्था बनाते हुए इसे जैविक खाद तैयार किये जाने हेतु ही निस्तारित किया जायेगा।

25. **स्वच्छता एवं दुर्गन्ध प्रबन्धन** – प्रत्येक व्यावसायिक डेयरी परिसर के स्वामी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि, परिसर पूर्णतः स्वच्छ एवं दुर्गन्धविहीन रहे। चूहों, मक्खियों एवं मच्छरों के नियंत्रण हेतु नियमित रुप से प्रयास किये जायेंगे।

26. **नर बछड़ों का बन्ध्याकरण** – नगर क्षेत्र के डेयरी स्वामी द्वारा अनिवार्य रुप से 4 माह से अधिक आयुवर्ग वाले नर बछड़ों का बन्ध्याकरण कराया जायेगा।

नगर निगम के प्रतिनिधि पशु चिकित्सक	जिला एस0पी0सी0ए0 के प्रतिनिधि*
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :
नाम :	नाम :
पदनाम :	पदनाम :
दिनांक :	दिनांक :
स्थान :	स्थान :

* **जिला एस0पी0सी0ए0** : मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरुप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन प्राख्यापित एस0पी0सी0ए0 नियम, 2001 के अधीन, प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला एस0पी0सी0ए0 का गठन किया गया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला एस0पी0सी0ए0 के पदेन उपाध्यक्ष के रुप में, नगर आयुक्त द्वारा पदेन सदस्य के रुप में, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पदेन सदस्य सचिव के रुप में तथा अन्य सभी सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा जिला एस0पी0सी0ए0 के पदेन सदस्य के रुप में दायित्वों का निर्वहन किया जाना अपेक्षित है।

प्ररुप '3'

व्यावसायिक डेयरी परिसर हेतु अनुज्ञा–पत्र

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस व्यावसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु सहमति (consent to operate) दे दिये जाने के उपरान्त, उत्तराखण्ड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली, 2024 के नियम–4 के प्रावधानों के अनुरुप श्री ..... पुत्र श्री ..... आयु .....निवासी ..... डाकघर ..... पुलिस थाना .... जिला ..... के स्वामित्वाधीन व्यावसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अनुरुप अनुज्ञा दी जाती है :–

1– व्यावसायिक डेयरी परिसर स्थान ..... पर अवस्थित है।
2– व्यावसायिक डेयरी परिसर में अधिकतम ..... वयस्क डेयरी पशुओं को रखा जाना अनुमन्य है।
3– आवेदक डेयरी परिसर स्वामी उत्तराखण्ड डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली, 2024 एवं नगर निगम अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने हेतु बाध्य होगा।
4– आवेदक डेयरी परिसरस्वामी द्वारा डेयरी परिसर में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का अनुपालन किये जाने हेतु बाध्य होगा।
5– डेयरी परिसर में पंजीकृत एवं अर्ह पशु चिकित्सक के लिखित चिकित्सकीय परामर्श के अतिरिक्त, किसी भी दशा में दुग्ध दोहन हेतु ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
6– डेयरी परिसर अन्तर्गत प्रमुख दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित किया जायेगा।
7– यह अनुज्ञा–पत्र अहस्तान्तरणीय (non-transferable) है।
8– यह अनुज्ञा–पत्र पाँच वर्षो हेतु दिनांक ..... तक मान्य है। अनुज्ञा–पत्र के नवीनीकरण हेतु मान्यता समाप्ति की तिथि से एक माह पूर्व आवेदन किया जाये।
9– पशुस्वामी द्वारा व्यावसायिक डेयरी परिसर के संचालन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका का अनिवार्य रुप से अनुपालन किया जायेगा।

नगर निगम पशु चिकित्साविद् के हस्ताक्षर :

नाम :
कार्यालय मुहर :
दिनांक :

नगर आयुक्त के हस्ताक्षर :

नाम :
कार्यालय मुहर :
दिनांक :

प्ररुप '4'

डेयरी परिसर द्वारा 'उत्तराखण्ड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली, 2024' के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में पंचनामा/चालान नोटिस निर्गत किये जाने हेतु प्रपत्र

आप श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ..... डाकघर ..... पुलिस थाना ..... जिला ..... को अवगत कराया जाना है कि, दिनांक ..... को आपके द्वारा स्थान ..... पर संचालित व्यावसायिक डेयरी परिसर को उत्तराखण्ड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली, 2024 के नियम ..... एवं उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 438/ 440/ 447/ 451(3)/ 467 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है। अतः अपेक्षित है कि, दिनांक ..... को नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होकर, अर्थदण्ड भुगतान की रसीद प्राप्त करने का कष्ट करें।

नगर आयुक्त के हस्ताक्षर :

नाम :

कार्यालय मुहर :

दिनांक :

*** पंचनामा/चालान नोटिस की प्रति प्राप्त की।**

(डेयरी परिसर स्वामी के हस्ताक्षर)

* पंचनामा/चालान नोटिस की प्रति प्राप्त करने हेतु डेयरी परिसर स्वामी की अनुपलब्धता की स्थिति में पंजीकृत डाक द्वारा पंचनामा चालान नोटिस की प्रति प्रेषित कर दी जाय।

** पंचनामा/चालान नोटिस की प्राप्ति के उपरान्त शमन की कार्यवाही में असहयोग किये जाने की स्थिति में मा0 न्यायलय अन्तर्गत परिवाद योजित किये जाने पर, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा–3, 11(1), 29, 35 एवं 38 तथा उत्तराखण्ड गौ वंश संरक्षण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अधीन पशु स्वामी को पशु स्वामित्व अधिकारों से वंचित करते हुए पशु को सरकार के पक्ष में स्थायी रुप से समपहरण की कार्यवाही की जा सकती है।

प्ररुप '5'

डेयरी परिसर द्वारा 'उत्तराखण्ड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली, 2024' के प्रावधानों का उल्लंघन की दशा में शमन (compounding) की कार्यवाही हेतु प्रपत्र

सेवामें,

नगर आयुक्त,
नगर निगम .....।

महोदय,

निवेदन है कि, आपके कार्यालय द्वारा निर्गत पंचनामा/चालान नोटिस संख्या ..... दिनांक ..... के अनुसार अधोहस्ताक्षरी को उत्तराखण्ड व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण नियमावली, 2024 के नियम ..... एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 438/ 440/ 447/ 451(3)/ 467 के प्राविधानों के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है। मैं भविष्य में पुनः इसकी पुनरावृति न करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

अतः अनुरोध है कि, कृपया उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–..... के आलोक में उक्त दोष के शमन की कार्यवाही हेतु स्वीकृति देते हुए, अधोहस्ताक्षरी को रु0...../– (नगर निगम बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित अर्थदण्ड शुल्क) की प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

अभियुक्त डेयरी परिसर स्वामी के हस्ताक्षर :

अभियुक्त डेयरी परिस रस्वामी का नाम :

अभियुक्त डेयरी परिसर स्वामी का पता :

शमन द्वारा प्राप्त अर्थदण्ड की प्राप्ति रसीद निर्गत की जाती है।

नगर आयुक्त के हस्ताक्षर :

नाम :

कार्यालय मुहर :

दिनांक :

प्ररुप '6'

अनुज्ञाप्रदत्त डेयरी परिसर द्वारा अपेक्षित अभिलेखों हेतु प्रपत्र*

(क) पशुओं का रिकॉर्ड :

क्र0	प्रजाति	लिंग	टैग न0	नस्ल	रंग एवं आयु	पहचान चिन्ह

(ख) पशुओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड :

दिनांक	पशु टैग न0 एवं पहचान	लक्षण एवं संक्षिप्त केस इतिहास	निदान	उपचार	परिणाम– सफल उपचार/ मृत्यु	पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं मुहर

(ग) पशुओं का टीकाकरण/ टॉक्साइड/ वेनम रिकॉर्ड :

दिनांक	पशु टैग न0 एवं पहचान	वैक्सीन/ टॉक्साइड/ वेनम का नाम	उत्पादक द्वारा बैचनं0 एवं एक्सपायरी तिथि का स्टिकर	अगली खुराक हेतु दिनांक	पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं मुहर

(घ) पशुओं का कृमिरोधी दवापान रिकॉर्ड :

दिनांक	पशु टैग न0 एवं पहचान	कृमिरोधी औषधि का नाम	उत्पादक द्वारा बैचनं0 एवं एक्सपायरी तिथि का स्टिकर	अगली खुराक हेतु दिनांक	पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं मुहर

(ङ) गर्भाधान रिकॉर्ड :

दिनांक	पशु टैग न0 एवं पहचान	गर्भाधान का प्रकार (प्राकृतिक/ कृत्रिम वीर्यरोपण/ लिंग आधारित वीर्य) एवं दिनांक	गर्भाधान हेतु उपयोग में लाये गये नर पशु का विवरण	गर्भ परीक्षण की दिनांक/ परिणाम	पशु के हीट में आने की तिथि	पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर एवं मुहर

(च) पशुओं का क्रय–विक्रय रिकॉर्ड अभिलेख :

1. पशुओं का विक्रय रिकॉर्ड अभिलेख

पशु क्रेता का विवरण		पशु का विवरण		बछड़े (शिशु पशु) का विवरण	
नाम		प्रजाति		प्रजाति	
पिता का नाम		टैग नं0		टैग नं0	
ग्राम		नस्ल		नस्ल	
डाकघर		लिंग		लिंग	
विकासखण्ड		ब्यांत		आयु	
तहसील		आयु		रंग	
जिला		रंग		सींग	
राज्य		सींग		पूंछ	
पशु–क्रेता का अंगूठा निशानी / हस्ताक्षर		पूंछ		(अन्य पहचान चिन्ह)	
		(अन्य पहचान चिन्ह)			
		(गर्भावस्था की स्थिति)			

2. पशुओं का क्रय रिकॉर्ड :

पशु विक्रेता का विवरण		पशु का विवरण		शिशु पशु का विवरण	
नाम		प्रजाति		प्रजाति	
पिता का नाम		टैग नं0		टैग नं0	
ग्राम		नस्ल		नस्ल	
डाकघर		लिंग		लिंग	
विकासखण्ड		ब्यांत		आयु	
तहसील		आयु		रंग	
जिला		रंग		सींग	
राज्य		सींग		पूंछ	
पशु विक्रेता का अंगूठा निशानी / हस्ताक्षर		पूंछ		(अन्य पहचान चिन्ह)	
		(अन्य पहचान चिन्ह)			
		(गर्भावस्था की स्थिति)			

* व्यावसायिक डेयरी परिसर को अनुज्ञा–पत्र निर्गत करते समय उपरोक्त प्रारूपों युक्त पंजिका सम्बन्धित व्यवसायिक डेयरी स्वामी को उपलब्ध कराया जाय।

परिशिष्ट–1

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेयरी पशुओं के व्यावसायिक डेयरी परिसर अनुज्ञाकरण हेतु विभिन्न प्रकार के शुल्क/अर्थदण्ड की प्रस्तावित दरें

मद/विवरण	दर प्रति पशु
व्यावसायिक डेयरी परिसर पंजीकरण शुल्क (पाँच वर्षो हेतु)	रु० 1,000/–
व्यावसायिक डेयरी परिसर पुनर्नवीनीकरण शुल्क (पाँच वर्षो हेतु)	रु० 1,000/–
अपशिष्ट निस्तारण शुल्क (प्रति माह 10 पशुओं हेतु)	रु० 4,000/–
शव निस्तारण शुल्क (प्रति पशु)	रु० 1,000/–
व्यावसायिक डेयरी परिसर का पंजीकरण न कराये जाने हेतु प्रति पशु अर्थदण्ड	रु० 200/–
पंजीकरण न कराये जाने हेतु नोटिस के उपरान्त प्रति पशु/प्रति माह अर्थदण्ड	रु० 200/–
नियमावली के उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड	रु० 2,000/–
नालियों में गोबर बहाने हेतु अर्थदण्ड	रु० 500/–
डेयरी पशु को आवारा छोड़े जाने की दशा में प्रति पशु अर्थदण्ड	रु० 2,000/–
डेयरी पशु को आवारा छोड़े जाने की दशा में प्रति पशु/प्रति दिन अर्थदण्ड (दूसरे दिन से)	रु० 50/–

परिशिष्ट–2 : न्यूनतम अपेक्षित फर्श स्थान

(BIS : 1223-1987

पशु की किस्म	*न्यूनतम वांछित फर्श स्थान प्रति पशु (वर्ग मीटर में)	
	ढका हुआ क्षेत्र	खुला क्षेत्र
शिशु बछड़ा	1.0	2.0
बड़ा बछड़ा	2.0	4.0
युवा गाय/बैल	2.0	4.0–5.0
वयस्क भैंसें	4.0	8.0
वयस्क गायें	3.5	7.0
गर्भवती गायें	12.0	20–25
सांड	12.0	120.0
बैल	3.5	7.0

परिशिष्ट–3

(अनुलग्नक–क सी0पी0सी0बी0 दिशा निर्देश)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में डेयरियों और गौशालाओं के लिए सूची प्रपत्र

क्र0 सं0	विवरण	शहरी क्षेत्र	परि–शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1.	डेयरियों की कुल संख्या			
	• श्रेणी–I (25 पशुओं तक)	•	•	•
	• श्रेणी–II (26 से 50 पशुओं तक)	•	•	•
	• श्रेणी–III (51 से 75 पशुओं तक)	•	•	•
	• श्रेणी–IV (76 से 100 पशुओं तक)	•	•	•
	• श्रेणी–V (100 से अधिक पशु)	•	•	•
	• कुल	•	•	•
2.	पशुओं की कुल संख्या			
	• श्रेणी–I की डेयरियॉ	•	•	•
	• श्रेणी–II की डेयरियॉ	•	•	•
	• श्रेणी–III की डेयरियॉ	•	•	•
	• श्रेणी–IV की डेयरियॉ	•	•	•
	• श्रेणी–V की डेयरियॉ	•	•	•
	• कुल	•	•	•
3.	गाय/भैंस द्वारा उत्पादित गोबर की कुल मात्रा (टन प्रति दिन)			
	• श्रेणी–I की डेयरियॉ	•	•	•
	• श्रेणी–II की डेयरियॉ	•	•	•
	• श्रेणी–III की डेयरियॉ	•	•	•
	• श्रेणी–IV की डेयरियॉ	•	•	•
	• श्रेणी–V की डेयरियॉ	•	•	•
	• कुल	•	•	•
4.	डेयरियों द्वारा मवेशियों के गोबर और अपशिष्ट जल के निपटान/उपयोग के तरीके (संलग्न करें)			
5.	डेयरी कॉलोनियों/क्लस्टर की कुल संख्या (ऐसी डेयरी कॉलोनियों/क्लस्टर की सूची, डेयरियों की संख्या, मवेशियों की संख्या, मवेशियों के गोबर और अपशिष्ट जल के निपटान/उपयोग की विधि आदि का विवरण संलग्न किया जाये)	•	•	•

6.	गौशालाओं की कुल संख्या			
	• श्रेणी–I (25 पशुओं तक)	•	•	•
	• श्रेणी–II (26 से 50 पशुओं तक)	•	•	•
	• श्रेणी–III (51 से 75 पशुओं तक)	•	•	•
	• श्रेणी–IV (76 से 100 पशुओं तक)	•	•	•
	• श्रेणी–V (100 से अधिक पशु)	•	•	•
	• कुल	•	•	•
7.	पशुओं की कुल संख्या			
	• श्रेणी–I की गौशाला	•	•	•
	• श्रेणी–II की गौशाला	•	•	•
	• श्रेणी–III की गौशाला	•	•	•
	• श्रेणी–IV की गौशाला	•	•	•
	• श्रेणी–V की गौशाला	•	•	•
	• कुल	•	•	•
8.	गाय द्वारा उत्पादित गोबर की कुल मात्रा (टन प्रति दिन)			
	• श्रेणी–I की गौशाला	•	•	•
	• श्रेणी–II की गौशाला	•	•	•
	• श्रेणी–III की गौशाला	•	•	•
	• श्रेणी–IV की गौशाला	•	•	•
	• श्रेणी–V की गौशाला	•	•	•
	• कुल	•	•	•
9.	गौशालाओं द्वारा मवेशियों के गोबर और अपशिष्ट जल के निपटान/उपयोग के तरीके (संलग्न करें)			

टिप्पणी:

शहरी क्षेत्र: भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शहरी क्षेत्र को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:

i– सभी स्थान जहॉ नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि हैं।

ii– अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करते हैं:

क– न्यूनतम 5000 की आबादी;

ख– कम से कम 75 प्रतिशत पुरूष मुख्य कार्यशील आबादी गैर–कृषि कार्यों में लगी हुई है; और

ग– कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की आबादी का घनत्व।

परि–शहरी क्षेत्र: यह शहरी क्षेत्र की परिधि पर स्थित एक क्षेत्र या बस्ती है जिस पर शहरीकरण का आंशिक या पूर्ण प्रभाव होता है। यह एक निश्चित समयावधि में नाटकीय परिवर्तनों से गुजरता है।

******

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following translation of notification no. ....1686.....dated....27.....2024 for general information.

Government of Uttarakhand
Urban Development Section-2
No.1686 /IV(2)-U.D.-2024-19(G)18
Dehradun: Dated 27 September, 2024

Notification

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 540 read with section 453 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the Governor proposes to make the following certain draft rules which is hereby published, as required by sub-section (2) of section 540 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft rules shall be taken into for consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Objections and suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Secretary, Urban Development Department, Government of Uttarakhand, Subhash Road, Dehradun, Uttarakhand.

Any objections or suggestions received from any person regarding the said draft rules before the expiry of the specified period will be considered by the State Government.

DRAFT RULES

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) These rules may be called the **"Uttarakhand Commercial Dairy Premises Licensing Rules, 2024"**.
(2) It shall extend to all the municipal corporation areas of the entire Uttarakhand state.
(3) It shall come into force at once.

Definition

2. Unless the context otherwise requires, in these rules-

(a) **"dairy cattle"** means milch animals including cow, bullock, heifer, buffalo, bull and their male & female calves.

(b) **"uneconomic animal"** means unproductive, old, sick and injured, homeless cow progeny and the case property cow progeny seized by the police administration / municipal bodies from the cattle smugglers or cases of animal cruelty.

(c) **"commercial dairy premises"** means such premises, where more than 10 dairy animals are kept to earn profit for commercial purposes.

(d) **"Veterinary Doctor"** means a graduate degree holder in Veterinary Science from a college recognized by the Veterinary Council of India and registered veterinary doctor under the Uttarakhand State Veterinary Council.

(e) **"Municipal Veterinarian"** means a veterinarian deployed in Municipal Corporation either on full time or on part-time or appointed on deputation or on attachment or on additional charge or on contract basis.

(f) **"Regional Veterinary Officer"** means a Veterinary Doctor appointed at Government Veterinary Hospital of the area, by the Uttarakhand Animal Husbandry Department.

(g) **"District S.P.C.A."** means the District Society for the Prevention of Cruelty to Animals, chaired by the District Magistrate of the concerned district, constituted under the S.P.C.A. Rules, 2001, promulgated under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

(h) **"commercial dairy cattle owner"** means such animal owner by whom more than 10 dairy animals are kept for earning profit for commercial purposes.

(i) **"dairy cattle owner"** means a cattle owner by whom 10 or less than 10 dairy animals are kept for profit for commercial purposes.

Application

3. These rules shall applicable on all the commercial cattle premises within the area of the Municipal Corporation.

Condition for licence

4. (1) Before applying for license for commercial dairy premise, the concerned animal owner compulsorily has to take consents (Consent to Establish and Consent to Operate) from the State Pollution Control Board and a verified photocopy of this record will be submitted to the concerned municipal body. The concerned animal owner will compulsorily follow the guidelines of the Central Pollution Control Board.

(2) In order to run commercial dairy premises under the Municipal Corporation area, it will be necessary for the concerned commercial dairy owner to obtain license from the Municipal Corporation by paying the prescribed fee as per Appendix-01.

(3) For obtaining license to run commercial dairy premises under the Municipal Corporation area, the applicant shall have to apply through prescribed application Format-1 as per the format, along with the application fee prescribed by the Municipal Board. The application fee deposited by the applicant will be non-refundable.

(4) In case of each application, an on-site inspection of commercial dairy premises shall be conducted by the Municipal Commissioner by forming an inspection team

under the leadership of the Municipal Veterinarian. The on-site inspection report shall be submitted by the inspection team in Format-2.

(5) Based on the on-site inspection report submitted in Format-2, the Municipal Commissioner shall take appropriate decision in order to grant permission to the concerned commercial dairy premises. Commercial dairy premises qualifying the norms shall be issued license as per Format-3 mentioning the maximum permissible number of adult animals in the commercial dairy premises.

(6) The licensed commercial dairy premises owner shall be bound to comply with the restrictions/ conditions of the license.

(7) It will be mandatory for each of the licensed commercial dairy premises owner to display the license on the main wall of it's dairy premises.

(8) On-site inspection of all commercial dairy premises under the Municipal Corporation area shall be done from time to time or once a year. Violation of the restrictions/ conditions for license, shall be liable for either immediate suspension or complete cancellation of the license and the penalty shall be imposed accordingly.

(9) The license issued by the Municipal Corporation shall be valid for a period of 05 years and the registration fee for animals between 1 to 10 years will be Rs. 1000/- per animal and for animals between 10 to 20 years, the registration fee will be Rs. 2000/- per animal shall be payble by the commercial dairy animal owner.

(10) In case of non-suitability to grant license, a notice of rejection of the concerned case shall be issued within one month from the date of application.

(11) In case of operation of commercial dairy premises under Municipal Corporation area without license, the fine may be recovered by the Municipal Commissioner, by imposing the prescribed fine through mitigation on the animal owner as per Appendix-01.

Renewal of license

5. For renewal of the license the concerned commercial dairy animal owner shall have to submit an application to the Municipal Commissioner through the prescribed form as per

Format-1, along with the prescribed fee as per Appendix-01, at least one month before the date of expiry of the license.

Solid Waste Management

6. The solid waste (dung, bedding grass etc.) shall be collected at regular intervals by the concerned commercial dairy animal owner. The collected solid waste shall be used for compost manure or vermin-compost manure or for use in biogas plants or compressed biogas plants or for the manufacture of cow dung cakes. It will be ensured that it does not get discharged into drains/ canals/ rivers/ ponds/ lakes/ springs or other natural water sources. To keep the premises odour-free, a regular sprinkling of lime or any other disinfectant material shall be done on the floor of the dairy premises. An adequate number of labours and resources shall be employed by the commercial dairy animal owner to ensure proper management of solid waste.

Waste Water Management

7. Just to ensure no wastage of potable water & water used for cleanliness, concerned commercial dairy animal owner shall ensure maximum 150 litre water is consumed on each animal per day. The wastewater shall be disposed of by the commercial dairy animal owner only after proper treatment as per the standards of the State Pollution Control Board and it shall be ensured that the wastewater of the dairy premises doesn't pollute the underground water sources. It will also be ensured by the dairy premises owner that the floor does not become slippery due to the wastewater of the premises.

Air Quality Management

8. For the prevention of foul smell and control of humidity inside the dairy premises, proper arrangement of fresh air and cleanliness shall be ensured by the concerned commercial dairy animal owner. For the housing arrangement and maintenance of animals, the norms of the Bureau of Indian Standards shall be complied with and tree plantation shall be ensured inside the dairy premises. Proper nutrition of animals shall be ensured as per the technical advice of the Animal Husbandry Department or Milk Development Department or National Dairy Development Board or National Dairy Research Institute or Krishi Vigyan Kendra.

Group Separation

9. In case of keeping a large number of dairy animals under the cattle shed, the animals shall be kept in separate groups according to their gender, age group, productivity, pregnancy and health status. Sick animals shall be isolated separately.

Protection from Weather

10. (1) At the place of keeping the animals, proper arrangements shall be ensured to protect the animals from strong sun-light, heat, cold, rain, storm, dust, hot winds, snow and other climatic troubles.

(2) To prevent unnecessary cruelty, suffocation, dampness and overcrowding in the place of keeping the animals, proper arrangements of air circulation (ventilation) and natural sunlight as per the reference mentioned in Appendix-2 (BIS: 1223-1987) shall be ensured by providing minimum covered area 40 sq.ft per animal for adult animals and minimum covered area of 10 sq.ft. per infant animal.

Tying

11. Dairy animals shall not be tied continuously and the length of the rope shall not be less than 3 meters and they will be allowed to exercise/walk in the open for 2 to 4 hours daily. 1/3rd of the total area proposed for the cowshed will be kept as open space for the animals to exercise/roam in the open.

Independent activity

12. Place of keeping animals shall be kept suitable for independent activities (e.g. the corridor should be wide enough so that two animals can easily pass through it without any obstruction).

Floors

13. (1) The floor shall be capable of comfortable sitting, standing, traction and segregated from the ground.

(2) Arrangement for proper bedding shall be ensured at the place of sitting.

(3) The floor shall not be kept perfectly flat, slippery, hard or overly rough and shall be kept least possible minimum wet.

Animal Husbandry Management (Animal Management)

14. Animals should be driven by low-stress methods, in which they shall be patted instead of using a stick. Electric curbs shall not be used.

Mutilation

15. The process of mutilation should be minimal. If it is necessary to cauterize and put a ring in the nose and cut the tail or dehorn or remove the horn of the animal due to problem or castration, then these procedures should be completed in the puberty of the animal (at the age of about 6 months for crossbreed animals and 18 months for Indian breed animals) through a qualified veterinarian. Unnecessary pain and suffering of the animals shall be avoided in this procedure, by using Tranquillizers, Local Anaesthetics and Analgesics in appropriate dose by the veterinarian.

Milking

16. (1) Care will be taken while milking to ensure that the dairy animal does not suffer unnecessarily and its udders and milk should be protected from any kind of infection or damage.

(2) In order to save the udders from unnecessary pain and damage, instead of the "thumb milking method (Knuckling Method)", "Full Hand Milking Method" shall be used for milking.

Use of external hormones

17. (1) The use of oxytocin hormone or any other chemical for milking shall be prohibited. The use of the oxytocin hormone is illegal and a punishable offence.

(2) The use of hormones for medical purposes is valid only under the written prescription of a qualified veterinarian.

Food

18. Dairy animals shall be given balanced and nutritious food in sufficient quantity according to their physical requirement. The availability of proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and fibre in proper proportion in the food shall be ensured. There shall be no sudden change in diet of animals.

Drinking Water System

19. Adequate space shall be provided in the den of dairy animals to ensure the adequate availability of clean drinking water.

Care-taking Employees -

20. An adequate number of skilled workers shall be employed, who are capable of taking good care of the dairy animals and are skilled in keeping the herd free from stress and fear.

Health care (Animal Health Care)

Veterinary Doctor

21. The commercial dairy establishment shall ensure the services of a qualified veterinary doctor on a regular basis for health check-ups, pregnancy diagnosis, vaccination, de-worming, antiparasitic drugs, epidemic prevention, diagnosis and other medical purposes. For effective prevention of epidemic diseases, regular vaccination shall be ensured as per the policies of the Uttarakhand Animal Husbandry Department.

Daily Inspection of Dairy Animals

22. The dairy owner shall shall carefully watch the animal herd on daily basis for diseases, injury, limping, change in posture, change in gait, loss of appetite and thirst, changes in cow dung or urine, blood or any other secretions in milk or urine, irregular growth of hooves, bloating, dryness of muzzle, suffocation or protrusion of tongue, rumination, discharge from nostrils, eyes or ears, froth in the mouth or changes in voice or signs of emaciation or obesity, so that

timely treatment may be prescribed by the Veterinary Doctor.

Ear tagging

23. In collaboration with the Animal Husbandry Department, ear tagging (or other advanced technology identification marks) shall be mandatory for keeping identification, health status, vaccination and other information of cattle in the city.

Sick Animal Isolation

24. Sick animals shall be kept isolated from other healthy animals by making separate arrangements for food, drinking water, and milking.

Record keeping

25. After the licence is obtained by the commercial dairy establishment, Commercial Dairy Owner shall maintain following records in prescribed formats : -

(a) Details of all the animals kept as per the prescribed format.
(b) Veterinary health details of animals.
(c) Details of Animal Vaccination/Toxoid/Snakebite Antivenom.
(d) Record of De-worming Medication.
(e) In semination Record/ breed details of animals.
(f) Details of purchase and sale of animals.

Artificial insemination by Sex Sorted Semen

26. Animal Husbandry Ministry, Government of India & Uttarakhand Animal Husbandry Department has launched latest technology of Artificial insemination through Sex Sorted Semen, that ensures birth of female calves in more than 90% of cases. In order to prevent the evil & cruel practice of abandonment of male calves by dairy owners, the dairy owners of the city area shall compulsorily get the female animals inseminated through artificial insemination technique using Sex Sorted Semen Straws. After three months of artificial insemination, Pregnancy Diagnosis should be done by qualified Veterinary Doctor.

Breed selection

27. Dairy cattle of weather-friendly breed, resistant to parasites and diseases and having long lifespan should be selected, compatible with local agro-climatic conditions. To prevent the illegal practice of abandoning unwanted male calves, conception should be done through sexed semen as far as possible and according to the breed and they should be kept healthy. Only after 03 months of conception, pregnancy should be tested by a qualified veterinarian.

Weaning

28. Weaning shall be done gradually while keeping the new-born animals with their mother for at least three months.

Colostrum

29. Immediately after birth, after giving a proper opportunity to the mother to lick her calf, the calf should be given colostrum within 1-2 hours of birth. If the mother of the calf has died or colostrum is being produced in less quantity, then the calf

should be given colostrum of another mother or artificial colostrums feeding shall be done.

Keeping of Calves

30. The calves should be kept with their mother on clean and dry bedding. If separated from their mothers, they should be kept around other animals, preferably in pairs or in small groups.

Sterilization of Male Calves

31. The sterilization of male calves above the age of 4 months shall be compulsorily done by the dairy owner of the city area. 4-5 month old male calves after sterilization to be sent to government/non-government cow shelters at the rate of Rs 500 per calve.

Humane Legal System for Uneconomic Animals

32. (1) Every commercial dairy premises owner should dispose of the unprofitable unproductive animals as per a humane legal system with the help and coordination of local non-government animal welfare organizations/ cow-shelters/ animal shelters. Municipal bodies are expected to operate these cow shelters/kanji houses with their own resources or by levying fees or by earning income by imposing fines or through public cooperation or through non-government animal welfare organizations or by other means.

(2) It is illegal and a punishable offence for a dairy animal owner or commercial dairy animal owner to abandon or let any dairy animal stray. If found guilty on this regard, the Municipal Commissioner is authorized to compound the offence & impose the fine prescribed as per Appendix-01.

(3) Killing any animal, killing calves by starving them or abandoning them, or killing them by tying them in the sun and keeping them thirsty is illegal and a punishable offence.

Waste Management and Dung Disposal

33. It shall be ensured by every commercial dairy premises owner that dung, bedding, straw and cow urine shall neither be disposed of in drains, nor will it be disposed in canals, rivers, ponds, or natural water bodies, nor will it be burnt. Rather, the dung shall be disposed of by paying the prescribed fee as per Appendix-01 for this purpose.

Sanitation and Foul Smell Management

34. It shall be ensured by every commercial dairy premises owner that the premises are kept completely clean and odorless. Regular efforts shall be made to control rats, flies and mosquitoes.

Displacement of Dairy Premises

35. If the Municipal Corporation Board decides to relocate the dairy premises outside the urban areas, every licensed commercial dairy premises owner shall comply the decision.

Disposal of Dead Bodies

36. In the event of death of dairy animals, the disposal of the carcass shall be ensured by the concerned animal owner as per the procedure/guidelines prescribed by the Municipal Corporation, and after paying the prescribed fee as per Appendix-01.

Management of Abandoned Stray Cattle

37. The revenue generated by the concerned Municipal Corporation from various types of fees and fines under these rules, can be utilized for the management of Kanji House / Gaushala Shelters set up for the management of abandoned stray cattle in the city area. In this regard, the rates of fee/penalty may be re-fixed by the Municipal Corporation from time to time. The management of Kanji House / Gaushala Shelters shall be done by the Municipal Corporation from its own resources or from the cooperation of various non-government animal welfare organization, religious organizations/ charitable organizations/ donors.

Punishment in case of violation of the provisions of the rules

38. If the dairy cattle owner or commercial dairy animal owner violates the legal provisions prescribed under these rules, the Municipal Commissioner may recover the prescribed fine as per Appendix-01. Separate legal action may also be taken in case of animal killing or mortal injury to the animal. For violating the legal provisions of the State Pollution Control Board, action may be taken against the commercial dairy owners as per the laws related to environment protection.

Monitoring of Commercial Dairy Premises by the Municipal Bodies

39. According to Appendix-03 (Annexure-A prescribed by Central Pollution Control Board) the municipal bodies, shall record the information related to commercial dairy premises, share the information with the State Pollution Control Board annually. As far as possible, all commercial dairy premises shall be registered by the municipal bodies in online mode. Training on technical subjects related to waste management and pollution control may be given to all the commercial dairy owners and workers by the State Pollution Control Board and the municipal bodies.

(Nitin Singh Bhadauria)
Additional Secretary

Format '1'

Form for application in order to get License to run Commercial Dairy Premises

To,

Municipal Commissioner,

_____ Municipal Corporation

Sir,

It is requested that, I (name) _____ son of Shri _____ Age _____ resident of _____ Post Office _____ Police Station _____ District _____ have taken consent to establish and consent to operate from the Uttarakhand Pollution Control Board to run the commercial dairy premises owned by me. Accordingly, a photocopy of the documents is being submitted as an attachment. I am committed to follow the guidelines of the Central Pollution Control Board for the operation of commercial dairy premises. In order to get a license to run commercial dairy premises from the municipal body, the following application is being presented : -

A) Details of animals kept in commercial dairy premises :

Species/Breed	Gender	Colour	Tail	Age	Lactation	Horns	Tag No.

B) Space for animals kept in commercial dairy premises :

(i) Area covered by roof (covered area):

(ii) Open area:

C) Housing System :

(i) Floor type :

(ii) Natural light and ventilation :

(iii) Rope length, in the case of animals being kept in tied

(iv) Isolation Wards for sick animals

D) Name/Address/Telephone No. of Consultant Veterinary Doctor :

E) Arrangement for disposal of Dung/ Urine :

F) Arrangements for the disposal of uneconomic and unproductive old animals :

I am determined to comply with all the provisions of "Uttarakhand Commercial Dairy Premises Licensing Rules, 2024". Therefore, it is requested that the undersigned may be kindly issued License to run Commercial Dairy Premises.

Signature of Applicant :

Application date :

Phone numbers :

Date stamp of receipt in Municipal Corporation office :

Format '2'

Form for on-site inspection of commercial dairy premises

Name of the owner of Commercial Dairy Premises :

Father's Name :

Address:

Inspection Points | **Report of the Investigation Team**

I- Housing for animals

1. **Group Seggregation -** In case of keeping a large number of dairy animals under the cattle shelter, these animals will be kept in separate groups according to gender, age group, productivity, pregnancy, health status.Sick animals will be kept separately.

2. **Protection from weather –**

(A) At the place of keeping the animals, proper arrangements will be ensured to protect the animals from strong sun-light, heat, cold, rain, storm, dust, hot winds, snow and other seasonal troubles.

(B) To prevent unnecessary cruelty, suffocation, dampness and overcrowding of animals in the place of keeping the animals, proper arrangements of ventilation and natural sunlight as per the reference mentioned in Table 1 (BIS: 1223-1987) shall be ensured by providing minimum covered area 40 sq.ft per animal for adult animals and minimum covered area of 10 sq.ft. per animal for infant animals.

3. **Tying -** Dairy animals shall not be kept tied up continuously and the length of the rope shall not be less than 3 meters and they shall be allowed to exercise/walk in the open for 2 to 4 hours per day.

4. **Independent activity -** Place of keeping animals shall be kept suitable for independent activities. (e.g. the corridor should be wide enough so that two cows can easily pass through it without any obstruction)

5. **Floors –**
   (A) The flooring shall be such that the animals are able to sit comfortably, stand, and to enable segregation on the ground.
   (B) Arrangement for bedding will be ensured at the place of sitting.
   (C) The floor shall not be kept perfectly flat, slippery, hard or overly rough and shall be kept wet to the minimum.

6. **Animal Husbandry Management (Husbandry) –**
   Animals should be driven by low-stress methods, in which they will be patted instead of using a stick. Electric curbs shall not be used.

7. **Mutilation -**The process of mutilation should be minimum. If it is necessary to cauterize and put a ring in the nose and cut the tail or dehorning or remove the horn of the animal due to the problem or castration, then these procedures should be completed in the puberty

of the animal (at the age of about 6 months for crossbreed animals and 18 months for Indian breed animals) through a qualified veterinarian. In this process, animals will be saved from unnecessary pain by using palliative (Tranquillizers), Local Anaesthetics and painkillers (Analgesics) in appropriate amount by the veterinarian.

8. **Milking –**
   (A) Care shall be taken while milking to ensure that the dairy animal does not suffer unnecessarily and its udders and milk should be protected from any kind of infection or damage.
   (B) In order to save the udders from unnecessary pain and damage, instead of "thumb milking method (Knuckling Method)", "whole hand milking method (Full Hand Method)" shall be used in milking.
9. **Use of external hormones –**
   (A) The use of oxytocin hormone or any other chemical for milking shall be prohibited. The use of the oxytocin hormone is illegal and a punishable offence.
   (B) The use of hormones for medical purposes is valid only under the written prescription of a qualified veterinarian.
10. **Food -** Dairy animals shall be given balanced and nutritious food in sufficient quantity according to their physical requirement. The availability of proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and fibre in proper proportion in the food shall be ensured. There shall be no sudden change in diet.
11. **Drinking water system -** Adequate space will be kept in the den of dairy animals to ensure availability of clean drinking water in abundance.
12. **Care taking employees -** Adequate number of skilled workers should be employed, who are capable of taking good care of the dairy animals and are skilled to keeping the herd free from stress and fear.

II- Health care (Animal Health Care)

13. **Veterinary doctor -** The commercial dairy establishment will ensure the services of a qualified veterinarian on a regular basis for health check-up, pregnancy diagnosis, vaccination, anthelmintic medication (Deworming), antiparasitic drugs, immunisation, epidemic prevention, diagnosis and other medical purposes. Vaccination will be ensured as per the policies of Animal Husbandry Department, Uttarakhand for effective prevention of epidemic spread in animals.
14. **Daily inspection of dairy animals –** The animal herd will be inspected daily by the dairy owner and by thorough inspecting the signs like bruising, limping, change in standing, change in gait, loss of appetite and thirst, changes in cow dung or urine, blood or other secretions in milk, irregular growth of hooves, flatulence, dryness of nostrils, suffocation or protrusion of tongue, no chewing gum, nostril or ear discharge, foam in the mouth or changes in voice or symptoms such as thinness or obesity and treatment will be done by the veterinarian in time.

15. **Ear tagging -** In collaboration with the Animal Husbandry Department, ear tagging (or other advanced technology identification marks) will be mandatory for keeping identification, health status, vaccination and other information of cattle in the city.
16. **Sick animal -** Sick animals will be kept separate from other healthy animals by making separate arrangements for food, drinking water, and milking.
17. **Record keeping -** After permission is obtained by the commercial dairy establishment, the records will be maintained by the establishment in a register containing the following forms:-
    (A) Details of all the animals kept in the dairy premises.
    (B) Veterinary health details of animals.
    (C) Details of Animal Vaccination / Toxoid / Snakebite Antivenom.
    (D) Description of de-worming medication.
    (E) Insemination/breed details of animals.
    (F) Details of purchase and sale of animals.
18. **Breed selection -** The selection of dairy animals of breeds should be adapted to the weather, resistant to parasites and diseases and longevity in harmony with the local agro-climatic conditions. In order to prevent the frequent illegal practice of abandoning unwanted male calves, insemination should be done through sexed semen as far as possible and according to the breeding and they should be kept healthy. For which after 3 months of fecundation, pregnancy test should be done by a qualified veterinarian.
19. **Weaning -** Breast divorcement will be done gradually while keeping the new-born animals with their mother for at least three months.
20. **Colostrum Feeding -** Immediately after birth, after giving proper opportunity to the mother to lick her calf, the calf should be given new milk within 1-2 hours of birth. If the mother of the calf has died or her new milk is being produced in small quantity, then the calf should be given new milk by another mother or artificially.
21. **Keeping of calves -** The calves should be kept with their mother on a clean and dry bedding. If separated from their mothers, they should be kept around other animals, preferably in pairs or in small groups.
22. **Artificial insemination by Sex Sorted Semen -** In order to effectively stop the evil practice of abandonment of male calves by dairy owners, the dairy owners of the city area will compulsorily get the female bovine animals inseminated through artificial insemination technique using sex-determined semen.

III- Uneconomic Animals

23. **Humane legal system –**
    (A) According to a humane legal arrangement for non-profitable non-productive animals, they should be disposed of with the cooperation and coordination of local non-government animal welfare organizations / cow houses / animal shelters by each commercial dairy premises owner. These cow houses shelters / Kanji Houses are expected to be operated by the municipal

bodies by way of income earned from own resources or through imposition of fee or by way of penalty or through public cooperation or through non-government animal welfare institutions or by other means

(B) Abandonment of dairy animals by the dairy cattle owner or commercial dairy animal owner is illegal and a punishable offence. If found guilty on this count, the Municipal Commissioner can recover the fine by imposing the prescribed fine through mitigation as per Appendix-01.

(C) Killing any animal, killing or abandoning infant animals, subjecting any animals to starvation or dehydration, and tying them in the sun is illegal and punishable offences.

24. **Waste management and Dung Disposal -** It shall be ensured by every commercial dairy premises owner that dung, bedding, straw and cow urine will neither be disposed of in drains, nor will be disposed of in canals, rivers, ponds, natural water bodies, nor will it be burnt. Rather, making a separate arrangement for this work, it will be disposed of only for the preparation of organic manure.

25. **Sanitation and Foul Smell Management -** It shall be ensured by every commercial dairy premises owner that the premises are completely clean and foul smell - free. Regular efforts will be made to control rats, flies and mosquitoes.

26. **Sterilization of Male Calves -** The sterilization of male calves above the age of 4 months will be done compulsorily by the dairy owner of the city area.

Municipal representative veterinarian		District S.P.C.A. Representative*	
Signature	:	Signature	:
Name	:	Name	:
Designation	:	Designation	:
Date	:	Date	:
Place	:	Place	:

* District S.P.C.A.: In compliance to the orders of the Hon'ble Supreme Court, under the S.P.C.A. Rules, 2001 promulgated under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, District S.P.C.A.s have been constituted under the chairmanship of District Magistrate of the concerned district. The Senior Superintendent of Police of the district is the ex-officio Vice Chairman of the District S.P.C.A., the Municipal Commissioner is ex-officio member of the District S.P.C.A., the Chief Veterinary Officer of the concerned district is ex-officio Member Secretary of the District S.P.C.A. and the district level nodal officers of all other concerned departments are ex-officio member of District S.P.C.A.

Format '3'

Format for License to run Commercial Dairy Premises

After the consents (Consent to Establish and Consent to Operate) are given by Uttarakhand Pollution Control Board for the operation of this commercial dairy premises, according to the provisions of Rule-4 of Uttarakhand Dairy Premises Licensing Rules, 2024, this license is being issued to run the commercial dairy premises owned by Mr. _____ son of _____ Age____ Resident of _____ Post Office _____ Police Station _____ District _____ subject to the following restrictions :-

1- The commercial dairy premises is located at the _____.

2- A maximum number of _____ adult dairy animals are allowed to be kept in commercial dairy premises.

3- The applicant/dairy premises owner will be bound to comply with the provisions of Uttarakhand Dairy Premises Licensing Rules, 2024 framed under the the Municipal Corporation Act.

4- The applicant/dairy premises owner will be bound to comply with the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 in the dairy premises.

5- Oxytocin hormone shall not be used in the dairy premises for letdown of milk under any circumstances, except under written medical advice from a registered and qualified Veterinary Doctor.

6- This License shall be displayed on the main wall of the dairy premises.

7- This License is non-transferable.

8- This License is valid for five years till date _____. Application for renewal of permission should be made one months before the expiry date.

9- The guidelines of the Central Pollution Control Board will be compulsorily followed by the animal owner for the operation of commercial dairy premises.

Signature of Municipal Veterinary Doctor:

Name :

Office Stamp :

Date :

Signature of Municipal Commissioner:

Name :

Office Seal :

Date :

Format '4'

Form for issue of Panchnama / Challan notice in case of violation of the provisions of 'Uttarakhand Commercial Dairy Premises Licensing Rules, 2024'

You Mr. _____ son of Mr. _____ _____ resident of _____ Post Office _____ Police Station _____ District _____ has to be apprised that, the commercial dairy premises operated by you at _____ has been found guilty of violating the provisions of Rule _____ of Uttarakhand Dairy Premises Licensing Rules, 2024 and Section 438 / 440 / 447 / 451 (3) / 467 of Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959. You are summoned to appear in the office of Municipal Corporation on date _____ time _____ and take the receipt of payment of fine.

Signature of Municipal Commissioner:

Name :

Office Seal :

Date :

* Received the copy of Panchnama/Challan notice.

_____

(Signature of dairy premises owner)

* In case of non-availability of the dairy premises owner to obtain the copy of Panchnama/ Challan notice, copy of Panchnama/Challan notice should be sent by registered post.

** In the event of non-cooperation in the proceedings of compounding after receipt of the Panchnama/Challan notice, if a complaint is filed under the Hon'ble Court, legal action may be taken under section-3, 11(1), 12, 29, 32, 33, 34, 35 and 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and also under the provisions of the Uttarakhand Cow Protection of cow Progency Act, 2007 for permanent forfeiture the animals in favour of the government, depriving the owner of the animal ownership rights.

Format '5'

Form for proceedings of compounding in case of violation of the provisions of "Uttarakhand Commercial Dairy Premises Licensing Rules, 2024"

To,

Municipal Commissioner,

_____ Municipal Corporation

Sir,

It is requested that according to the Panchnama/Challan Notice No. _____ dated _____ issued by your office, the undersigned has been found guilty of violating the provisions of Rule _____ of Uttarakhand Commercial Dairy Premises Licensing Rules, 2024 and Section 438 / 440 / 447 / 451(3) / 467 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act 1959. I am committed not to repeat it again in future.

Therefore, it is requested that, in the light of section _____ of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, by giving approval for the proceedings of the compounding for the said fault, the undersigned be provided an acknowledgment receipt of Rs _____ (Penalty fee as prescribed by the Board of the Corporation)

Signature of the accused dairy premises owner :

Name of accused dairy premises owner :

Address of the accused dairy premises owner :

After receiving the fine received on compounding, the acknowledgement receipt is issued.

Signature of Municipal Commissioner:

Name :

Office Seal :

Date :

Format '6'

Form for the records required by the licensed dairy premises*

(A) Animals Record:

Sr. No.	Species	Gender	Tag number	Breed	Colour and age	Identification Marks

(B) Animals Health Record:

Date	Animal Tag Number and Identification	Symptoms and Brief Case History	Diagnosis	Treatment	Result Successful Treatment/ Death	Signature and Stamp of Veterinary Doctor

(C) Animals Vaccination / Toxoid / Venom Record:

Date	Animal Tag Number and Identification	Name of Vaccine / Toxoid / Venom	Batch number and expiry date sticker by the manufacturer	Next Dose Due Date	Signature and Stamp of Veterinary Doctor

(D) Record of de-worming drug use for animals:

Date	Animal Tag Number and Identification	De-worming Drug	Batch number and expiry date sticker by the manufacturer	Next Dose Due Date	Signature and Stamp of Veterinary Doctor

(E) **Insemination Record :**

Date	Animal Tag No. and identification	Type of Conception (Natural/Artificial Insemination/ Sexed) and date	Description of Male Animal used for Insemination	Date of Pregnancy Test/ Result	Date of Animal reheat of	Signature and Stamp of Veterinary Doctor

(F) **Animal Sale Purchase Record :**

a. Record of Animal Sales :

Description of the Animal Buyer		**Description of the Animal**		**Description of Calf**	
Name		Species		Species	
Name of the father		Tag No.		Tag No.	
Village		Breed		Breed	
Post Office		Gender		Gender	
Block		Calving		Age	
Tehsil		Age		Colour	
District		Colour		Horn	
State		Horn		Tail	
Signature/Thumb Impression Print of the Buyer		Tail		(Any other Identification Sign)	
		(Any other Identification Sign)			
		(Pregnancy Status)			

b. Record of Animals Purchased :

Description of the Animal Seller		**Description of the Animal**		**Description of the calf**	
Name		Species		Species	
Name of the father		Tag No.		Tag No.	
Village		Breed		Breed	
Post Office		Gender		Gender	
Block		Calving		Age	
Tehsil		Age		Colour	
District		Colour		Horn	
State		Horn		Tail	
Signature/Thumb Impression of the Buyer		Tail		-	
		(Any other Identification Sign)		(Any other Identification Sign)	
		(Pregnancy Status)			

* At the time of issuing the license to the commercial dairy premises, the register containing the above formats may be provided to the concerned owner of the commercial dairy premises.

Appendix – 1

Various types of charges / proposed rates of penalty for Commercial Dairy Premises Licensing

Item /Particulars	Rate Per Animal
Commercial Dairy Premises Registration Fee (for five years)	Rs 1,000/-
Commercial Dairy Premises Renewal Fee (For five years)	Rs 1,000/-
Waste Disposal Fee (Per month per 10 animals)	Rs 4,000/-
Carcass Disposal Fee (Per animal)	Rs 1,000/-
Penalty per animal for non-registration of commercial dairy premises	Rs 200/-
Penalty per animal per month after notice for non-registration has been issued	Rs 200/-
Penalty in case of violation of rules	Rs 2,000/-
Penalty for throwing cow dung in drains/gutters	Rs 500/-
Penalty per animal if animal is left stray	Rs 2,000/-
Penalty per animal per day if the dairy animal is left as stray (From the second day)	Rs 50/-

Appendix - 2

Expected Minimum Housing Space

(BIS : 1223-1987)

Species	* Minimum Housing Space per animal	
	Roof Covered Area	Open Area
Young Calf	1.0	2.0
Aged Calf	2.0	4.0
Young Cow/ Ox	2.0	4.0–5.0
Adult Buffalo	4.0	8.0
Adult Cows	3.5	7.0
Pregnant Cows	12.0	20–25
Bulls	12.0	120.0
Ox	3.5	7.0

Appendix – 3

(Annexure A CPCB Guidelines)

Inventory Performa for Dairies and Gaushalas in the State/UT

Sl. No.	Description	Urban Area	Peri-urban Area	Rural Area
1.	Total no. of dairies • Category-I (upto 25 animals) • Category-II (26-50 animals) • Category-III (51-75 animals) • Category-IV (76-100 animals) • Category-V (above 100 animals) • Total	 • • • • • •	 • • • • • •	 • • • • • •
2.	Total no. of animals in • Category-I dairies • Category-II dairies • Category-III dairies • Category-IV dairies • Category-V dairies • Total	 • • • • • •	 • • • • • •	 • • • • • •
3.	Total amount of cow/buffalo dung produced (ton per day) by • Category-I dairies • Category-II dairies • Category-III dairies • Category-IV dairies • Category-V dairies • Total	 • • • • • •	 • • • • • •	 • • • • • •
4.	Methods of disposal/utilisation of cattle dung and wastewater by dairies (to be enclosed)			
5.	Total no. of dairy colonies/clusters (list of such dairy colonies/clusters along with the details of no. of dairies, no. of cattles, method of disposal/utilisation of cattle dung & wastewater, etc. to be enclosed)	•	•	•
6.	Total no. of Gaushalas • Category-I (upto 25 animals) • Category-II (26-50 animals) • Category-III (51-75 animals) • Category-IV (76-100 animals) • Category-V (above 100 animals) • Total	 • • • • • •	 • • • • • •	 • • • • • •

7.	Total no. of animals in • Category-I Gaushalas • Category-II Gaushalas • Category-III Gaushalas • Category-IV Gaushalas • Category-V Gaushalas • Total	 • • • • • •	 • • • • • •	 • • • • • •
8.	Total amount of cow dung produced (ton per day) by • Category-I Gaushalas • Category-II Gaushalas • Category-III Gaushalas • Category-IV Gaushalas • Category-V Gaushalas • Total	 • • • • • •	 • • • • • •	 • • • • • •
9.	Methods of disposal/utilisation of cattle dung and wastewater by Gaushalas (to be enclosed)			

Note:

Urban area: As per the Census of India 2011, the urban area is defined as follows:

i. All places with a municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee, etc.
ii. All other places which satisfied the following criteria:
   a. A minimum population of 5,000;
   b. At least 75 per cent of the male main working population engaged in non-agricultural pursuits; and
   c. A density of population of at least 400 persons per sq. km.

Peri-urban area: It is an area or habitation located on the perimeter of the urban area having partial or complete influence of urbanization. It undergoes dramatic changes over a given period of time.

****